130/2014 सोहन / मुन्नी देवी 2014/00214

दिनांक	आज्ञा पत्र	
28-1-21	पत्रावली पेश। अपीलांट/रेस्पोडेंट के अधिवक्ता ने जाहिर किया है कि यह अपील धारा 212 में पारित आदेश के विरूद्ध धारा 225 में प्रस्तुत की गई है। इस प्रकरण में मूलवाद का निस्तारण विचारण न्यायालय द्वारा किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में यह अपील प्रभावहीन हो चुकी है इसे खारिज किया जावे। चूंकी विचारण न्यायालय में मूलवाद खारिज हो चुका हें अतः यह अपील प्रभावहीन हो चुकी है। फलस्वरूप अपील अपीलांट प्रभावहीन होने से खारिज की जाती है।। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरजीब तकमील दाखिल दफतर हो। (हस्ताक्षर) भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर